सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

मैनुअल–7

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के संबंध में सूचना

(The Particulars of any arrangement that exits for consultation with or represention by the members of the public in relation to formulation of its policy or implementation there of)

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड,

जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड में

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के संबंध में सूचना

(The Particulars of any arrangement that exits for consultation with or represention by the members of the public in relation to formulation of its policy or implementation there of)

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड में फील्ड स्तर पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी लागू व्यवस्था के संपादन एवं संशोधन हेतु आवश्यकतानुसार परामर्श करता है, जिसके प्रस्ताव को लागू करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन उपरान्त शासन को स्वीकृतार्थ प्रेषित किये जाते है।

बोर्ड गठन एवं पद सृजन के शासनादेश, बोर्ड की सेवानियमावली, बोर्ड हेतु बजट आवंटन से सम्बन्धित शासनादेश एवं अन्य दस्तावेज मैनुअल संख्या–5 में संलग्न हैं।

परामर्श या प्रतिनिधित्व की ब्यवस्था हेतु शासन द्वारा "चाय विकास सलाहकार परिषद" का गठन किया गया है। जिसमें वर्तमान में शासन द्वारा श्री महेश्वर सिंह एवं श्री मुकेश महराना को उपाध्यक्ष नामित किया गया है। जिनके आदेशों की प्रति संलग्न है।

आर0टी0आई0 आवेदकों हेतु सूचना एवं सुविधा काउण्टर बोर्ड के मुख्यालय एवं विभिन्न जनपदों में स्थापित कार्यालयों/लोक सूचना अधिकारी कार्यालयों में विद्यमान है। जिनका पता एवं सम्पर्क विवरण मैनुअल–1 में स्थित है।

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड

जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोड़ा